



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में हत्या करने के आरोपी बिड़ू को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ सश्रम आजीवन कारावास व 50,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा ।



अवगत कराना है कि अभियुक्त बिड़ू पुत्र राकेश निवासी बड़ागांव थाना खेकड़ा जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2015 में वादी श्यामसुन्दर पुत्र भंवर सिंह निवासी कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत के पुत्र की हत्या करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 546/2015 धारा 302/34 भादवि पंजीकृत हुआ था । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 24.07.2025 को मा0 न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त बिड़ू को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



श्री गगन गौड़
एडीजीसी



का0 योगेश
कोर्ट पैरोकार

विवेचक-निरीक्षक सुनील कुमार शर्मा
(तत्कालीन थाना प्रभारी खेकड़ा)

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।



Baghpat Police



baghpatpolice



@baghpatpolice



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक- 24.07.2025

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 24 पाउच अवैध देशी शराब उत्तर प्रदेश मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 24 पाउच अवैध देशी



शराब उत्तर प्रदेश मार्का बरामद हुए हैं ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

कृष्णपाल पुत्र खिम्मन निवासी ग्राम निरपुड़ा थाना दोघट जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 24 पाउच अवैध देशी शराब उत्तर प्रदेश मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० युवनीश कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।

2-है०का० 712 आदेश कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।

3-है०का० 352 गोविन्द थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 24.07.2025

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 221/25 धारा
191(2)/191(3)/115(2)/352/110/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित 12
अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23-07-2025 को
थाना रमाला पुलिस को
सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम
ककड़ीपुर में 02 पक्षों में
झगड़ा हो रहा है। उपरोक्त
सूचना पर थाना रमाला



पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तो देखा कि प्रथम पक्ष 1.गौरव पुत्र देवेन्द्र
2.मनीष पुत्र ब्रजपाल 3.देवेन्द्र पुत्र विशम्बर 4.सतवीर पुत्र विशम्बर 5.अंकित
पुत्र राजकुमार निवासीगण ग्राम ककड़ीपुर थाना रमाला जनपद बागपत व
द्वितीय पक्ष 1. अमजद पुत्र रफीक 2.नईम पुत्र शौकीन 3.बिलाल पुत्र अय्यूब
4.आमिर पुत्र युसुफ 5.अजीम पुत्र अय्युब 6.रिहान पुत्र कय्यूम 7.यासीर पुत्र
युसुफ निवासीगण ग्राम ककड़ीपुर थाना रमाला जनपद बागपत दोनों पक्ष
आपस में गाली-गलौज करते हुए हाथों में लिए लाठी-डण्डों से मारपीट कर रहे
हैं तथा जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिसमें प्रथम पक्ष के शुभम पुत्र देवेन्द्र
कुमार निवासी ग्राम ककड़ीपुर थाना रमाला जनपद बागपत व द्वितीय पक्ष के
1.कय्यूम पुत्र शब्बीर 2.शाकिब पुत्र यूसुफ निवासीगण ग्राम ककड़ीपुर थाना
रमाला जनपद बागपत गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस पार्टी द्वारा मौके पर
मौजूद लोगों की मदद से दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर शान्त कराया गया ।
मारपीट में घायलों को थाना रमाला पुलिस द्वारा उपचार हेतु अस्पताल

भिजवाया गया। इस सम्बन्ध में थाना रमाला पर मु0अ0सं0 221/25 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/352/110/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 221/25 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/352/110/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. गौरव पुत्र देवेन्द्र निवासी ग्राम ककड़ीपुर थाना रमाला जनपद बागपत।
2. मनीष पुत्र ब्रजपाल निवास ग्राम ककड़ीपुर थाना रमाला जनपद बागपत।
3. देवेन्द्र पुत्र विशम्बर निवासी ग्राम ककड़ीपुर थाना रमाला जनपद बागपत।
4. सतवीर पुत्र विशम्बर निवासी ग्राम ककड़ीपुर थाना रमाला जनपद बागपत।
5. अंकित पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम ककड़ीपुर थाना रमाला जनपद बागपत।
6. अमजद पुत्र रफीक निवासी ग्राम ककड़ीपुर थाना रमाला जनपद बागपत।
7. नईम पुत्र शौकीन निवासी ग्राम ककड़ीपुर थाना रमाला जनपद बागपत।
8. बिलाल पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम ककड़ीपुर थाना रमाला जनपद बागपत।
9. आमिर पुत्र युसुफ निवासी ग्राम ककड़ीपुर थाना रमाला जनपद बागपत।
10. अजीम पुत्र अय्युब निवासी ग्राम ककड़ीपुर थाना रमाला जनपद बागपत।
11. रिहान पुत्र कय्यूम निवासी ग्राम ककड़ीपुर थाना रमाला जनपद बागपत।
12. यासीर पुत्र युसुफ निवासी ग्राम ककड़ीपुर थाना रमाला जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री केदार सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2.है0का0 119 योगेन्द्र कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3.है0का0 819 दोसेन्द्र थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 4.का0 907 धर्मेन्द्र कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 5.है0का0 332 कमल किशोर थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 6.हो0गा0 542 राजकुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।

